फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

श्रीमती धापू देवी सोनी पत्नी श्री चम्पाराम सोनी।

बनाम

रईसा बानों पत्नी स्व. मंजूर हुसैन जाति मुसलमान, स्टेट

किस्म मुकदमा : धारा–75 एल.आर.एक्ट

अपील संख्या –83.....2024

GCMS No. 2024/.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.07.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय भादाणी जरिये कैवियट उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.06.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र 96 सीपीसी शामिल पत्रावली किया। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश एवं 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्रों पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पति स्व. मंजूर हुसैन के नाम ग्राम बासी सहजबरदारान के खसरा नंबर 57 में 9/74 हिस्सा भूमि थी। उक्त भूमिं मंजूर हुसैन व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खाते की भूमि थी, जिसमें से अधिकतर भूमि स्व. मंजूर हुसैन ने छोटे–छोटे टुकड़ों में बेच दी। प्रार्थी धापू देवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति स्व. मंजूर हुसैन से विभिन्न बैयनामों द्वारा तादादी 0.1400 हैक्टेयर करीबन खरीद की। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी पक्षकार नहीं होने के कारण इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा एवं रिकार्ड में परिवर्तन करने की फिराक में है। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना में हो जाती है तो प्रार्थी को न पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में सिविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 96 पेज 635–636 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्रों पर बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के साथ शपथ पत्र पेश नही किया, जिसके	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूर्ण है। अतः प्रार्थी धापू देवी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न देते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र निरस्त किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

- आर.आर.टी. 2019(1) पेज सं. 221
- आर.आर.डी. 14.08.2013 पेज सं. 543

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, स्थगन प्रार्थना पत्र, न्यायिक दृष्टांत एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपील में अपीलांट किसप्रकार से हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र को आधारहीन होने के कारण खारिज कर दिया जो न्यायोचित है। प्रार्थी अपील में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी निरस्त किया जाकर अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आदेश सुनाया गया। अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर